रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042024-253705 SG-DL-E-13042024-253705

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] No. 116] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2024/चैत्र 21, 1946 DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2024/CHAITRA 21, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 10 [N. C. T. D. No. 10

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अप्रैल, 2024

फा. सं. 50(6) / डीसी / स्था० / 2023 / DS/Hfw/1.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3532 के साथ पिठत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना संख्या फा. 53 / 143 / 94—स्वा० एवं पिरे० कल्या० / 4058 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद्द्वारा औषि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में किनष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

2493 DG/2024 (1)

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सुक्ष्मजीव विज्ञान) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
 - (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- **4. अयोग्यता** :—वह व्यक्ति.
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के पराम" से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य वि"ोष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आय्—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद हेत् भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सूक्ष्मर्ज	ोव विज्ञान)	
2.	पदों की संख्या	:	01 (2024)		
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर		
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय,	राजपत्रित, समूह–ख	
4.	वेतन मैद्रिक्स में स्तर	:	7		
			अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7	' (रुपये 44,900—1,42,400 / —)	
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद	:	चयन पद		
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु	:	लागू नहीं		
	सीमा				
	00 4 / 0 / / 0				
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित	:	अनिवार्य		
			योग्यता :	अनुभव :	

	शैक्षिक तथा अन्य योग्यता		लागू नहीं	लागू नहीं	
			वांछनीय		
			योग्यता :	अनुभव :	
			लागू नहीं	लागू नहीं	
			योग्यता संबंधी मानक टीप :	अनुभव संबंधी मानक टीप :	
			लागू नहीं	लागू नहीं	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	आयु : लागू नहीं		
	निर्घारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा		शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं		
	पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू		· ·		
	होगी।				
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं		
10.	भर्ती की पद्धति, सीधीभर्ती द्वारा या	:	पद्धति	प्तिशत	
	पदोन्नति द्वारा या		पदोन्नति द्वारा जिसके न होने	100	
	प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले		पर प्रतिनियुक्ति द्वारा,	100	
	रिक्त पदों का प्रतिशत		अल्पकालिक संविदा सहित		
	-				
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन	:	पदोन्नति :		
	द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे		 ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा	सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6	
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया		(रुपये 35,400-1,12,400 / -)		
	जाना है		(सूक्ष्मजीव विज्ञान)।	, .	
			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संवि	दा सहित) :	
			}	न मारीन प्रवेश / स्वायन या	
			केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन् वैधानिक संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र	-	
			मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के		
			(क) (i) नियमित आधार पर समरू	प पदधारी; अथवा	
			(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6(रुप	ाये 35,400—1,12,400 / —) अथवा	
			समकक्ष के पदों में 05 वर्षों की नि	वयमित सेवा सहित।	
			तथा		
			(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता	तथा अनुभव रखने वाले :	
			अनिवार्य :		
			(क) (i) किसी मान्यताप्राप	त विश्वविद्यालय से सूक्ष्म	
			` ' ''	न विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव	
			प्रोद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि;		
			(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान	से औषधि के सूक्ष्म जीवविज्ञान	
			परीक्षण में 03 वर्षों का अनुभव।		

			अथवा		
			अथवा (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औषधि के सूक्ष्म जीवविज्ञान परीक्षण के क्षेत्र में 05 वर्षों का अनुभव।		
			मानकटीप :		
			जिन किनष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।		
			प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।		
			भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की श्रृखंला में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति विचारणीय नहीं होंगे।		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?		 अपरमुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सिमित सिचव (गृह) – अध्यक्ष विभाग के प्रशासनिक सिचव – सदस्य विशेष / अपर सचिव (शह.वि.) – सदस्य 		
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना अ नहीं है	वश्यक	

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, अरविंद कुमार, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th April, 2024

F. No. 50(6)/DC/Estt./2023/DS/HfW/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532dated 24.09.1968 and in supersession of the Notification No. F.53/143/94-H&FW/4058 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhiafter prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer (Microbiology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Junior Scientific Officer (Microbiology) Recruitment Rules, 2024
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix- The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.
- **4. Disqualification.-**No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Scientific Officer (Microbiology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of post	Number of	Classification	Pay Level in	Whether	Age limit
	posts		the pay	Selection	for direct
			matrix	post/ Non-	recruits
				Selection	
				Post	
1	2	3	4	5	6
Junior Scientific	01 (2024)	General Central	7	Selection	Not
Officer		ServiceNon-	Remark:	Post	Applicable
(Microbiology)	*Subject to	MinisterialGazettedGroup, B	Level 7 (Rs.		
	variation	_	44900 -		
	dependent on		142400) in		
	work load		the Pay		
			Matrix		

Educational and other Qualification required for Direct Recruits		Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods	
		promotees 8			10
,	7		9	10	
Essential		Age: NA	N.A.	Method	Percentage
Qualification:	Experience:	Edu. Qual:			
NA	NA	NA			
Desirable				Promotion failing	100
Qualification: Experience:				which by Deputation	
NA	NA			including Short Term	
Qualification	Experience			Contract	
Standard Note	Standard Note				
NA	NA				

	T-0		T ~
In case of Recruitment by Promotion/	If a Departmental Promotion comm	Circumstances in	
deputation/ absorption grades from	is its composition		which UPSC is to
which Promotion/ deputation/			be consulted in
absorption to be made			making
			recruitment.
11	12		13
Promotion	Departmental Promotion	Departmental	Consultation with
Senior Scientific Assistant	<u>Committee</u>	Confirmation	UPSC is not
(Microbiology) in level 6 (Rs. 35400 –		<u>Committee</u>	necessary
112400) of the pay matrix with 5 years	1. Addl Chief Secretary		
regular service in the grade	(Home)/ Pr. Secretary	NA	
	(Home) (Chairman)		
Deputation (Including short-term			
contract):	2. Administrative Secretary of		
Officers of the Central	the Department (Member)		
Government/State Government/ Union			
Territories/ Autonomous or Statutory	3. Special/ Addl Secretary		
Organisation/ PSUs/ Universities/	(UD) (Member)		
RecognisedResearch Institutions:			
(a) (i) Holding analogous posts on			
regular basis: or			
(ii) With 5 years regular service in posts			
in level 6 (Rs. 35400 – 112400) of the			
pay matrix or equivalent: and			
(b) Possessing the following educational			
qualifications and experience:			
The state of the s			
Essential:-			
(A) (i) Post Graduate Degree in			
Microbiology/ Pharmacy/ Bio-			
Chemistry/ Botany/ Bio-Technology			
from aRecognised University			
(ii) Three Years' Experience in the			
Microbiological testing of Drugs from a			
Recognised Institution.			
Recognised institution.			
			1

consideration for appointment deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration

for appointment by promotion.

OR (B) (i) Bachelor degree in Pharmacy or Bachelor degree in Science with Chemistry or Botany or Zoology as one of the subjects from a Recognised University or Institute; (ii) Five years' Experience in the field of Microbiological testing of Drugs from a Recognised Institution **Standard Note:** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 02 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of applications The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for

By Order and in the Name of the Lt. Governor Delhi, ARVIND KUMAR, Dy. Secy.